(27)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 18 रेस्टोरेशन(पुर्नस्थापना)

पुर्नस्थापन – 3815/2018/शहडोल/भू.रा.

दिनांक 19-6-18 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि. द्वारा प्रस्तुत।

19-6-18

पेo दिo 27-6-18

भीमसेन पटेल पिता रामकिशोर पटेल निवासी ग्राम वोडरी तहसील सुहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

.... आवेदक

बनाम

राममनोहर पिता मंगली पटेल निवासी ग्राम वोडरी तहसील सुहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.)

.... अनावेदक

<u>आवेदन पत्र वास्ते रेस्टोरेशन (पुर्नस्थापना) किये जाने हेतु।</u>

प्रदीप श्रीवास्तव

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त निगरानी दिनांक 27.6.16 शेष अभिलेख मंगाये जाने हेतु नियत था।

2. यहकि, दिनांक 27.6.16 के पूर्व पेशी दिनांक 11.4.16 एवं दिनांक 2.2.16 नियत थी। उपरोक्त दोनों पेशी एवं इससे अन्य पूर्व की पेशियों पर आवेदक एवं उसके अधिवक्ता को नियत पेशी दिनांक 27.6.16 की कोई विधिवत जानकारी नहीं थी।

3. यहकि, दिनांक 27.6.16 को जो प्रकरण में आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण तीन बार पुकार लगाये जाने के उपरांत कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

344

18/06/18

मीना चतुर्वेदी

नोटरी, ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

रेस्टो.–3815 / 2018 / शहडोल / भू.रा.

भीमसेन पटेल विरूद्ध राममनोहर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–08–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अभिभाषक ने अन्तिम बार दिनांक 16.07.2015 को उपस्थित होकर आगामी पेशी तिथि नोट की थी, उसके पश्चात् प्रकरण में 6 पेशी लगी थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये, जिस कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । 3/ अभिभाषक का यह कर्तव्य होता है कि वह समय–समय पर प्रकरण से संबंध में जानकारी लेता रहे, जिससे प्रकरण की वस्तुस्थिति ज्ञात हो सके। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) में स्पष्ट प्रावधान है कि– " यदि राजस्व अधिकारी के समक्ष मामला या कार्यवाही का कोई पक्षकार उस पर सूचना या समन की सभ्यक तामील हो जाने के पश्चात् उस तारीख को जो सुनवाई के लिये नियत की गई है, उपस्थित नहीं होता है तो वह मामला यथास्थिति उसकी अनुपस्थिति में सुना तथा अवधारित किया जा सकेगा या अनुपस्थिति के कारण खारिज किया जा सकेगा। उक्त प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक निरंतर 6 पेशी तक अनुपस्थित रहा, इसके पश्चात दिनांक 19.06.2018 को पुर्नस्थापन का आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । तीन	

साल बाद प्रकरण को पुर्नस्थापित करने का औचित्य नहीं । पुर्नस्थापन का आवेदन तीन वर्ष पश्चात् दिया गया । इतने अधिक विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता । अतः पुर्नस्थापन का आवेदन आमान्य किया जाता है।

4/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल हो ।

(आर.के. जैन)
सदस्य